न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

ा नम्बर 150/2019 दायर दिनांक–29.08.2019

राधेश्याम पुत्र रामधन जाति ब्राहम्ण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद हैयातगंज चौक टांडा जिला अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश)

–वादी

1. विनोद पुत्र रामधन
2. तारामती पुत्री रामधन
3. विमला पुत्री रामधन जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद हैयातगंज चौक टांडा जिला अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश)
4. सोहनलाल पुत्र मोहन
5. दौलतराम पुत्र मोहन
6. सुनील पुत्र मोहन
7. किरण पुत्री मोहन जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद 128/58 एस–02 ब्लॉक किदवई नगर, कानपुर
8. कालूराम पुत्र श्रीराम
9. चन्द्रकिशोर पुत्र श्रीराम
10. नटवर लाल पुत्र श्रीराम जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद 60/51 नयागंज कानपूर (उत्तर प्रदेश)
11. बदन कंवर पत्नी शंकर सिंह
12. धर्मेन्द्र पुत्र शंकर सिंह
13. महेन्द्र उर्फ मैन सिंह पुत्र शंकर सिंह
14. चैन सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणार्थ, विभाजन
व स्थाई निषेधाज्ञा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक–28.10.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम झाझड में महादेव नाम का व्यक्ति पैदा हुआ जो फौत हो चुका है जिनके तीन पुत्रान् मोहन, रामधन व श्रीराम पैदा हुये जो फौत हो चुके है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 उसके वैध वारिस व उत्तराधिकारी है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार है। राजस्व ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 470 की भूमि खसरा नम्बर 1782/452 र[illegible] स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की शामलती खातेदारी कब्जे काश्त [illegible]त्रिक [illegible]भाजित सम्पदा है, जिसके संबंध में वादी उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का [illegible]र रहा है, जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से दर्ज व संबोधित किया जा रहा है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित विवादित भूमि [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगाय[illegible] पैत्रिक सम्पदा है, जिसमें 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामधन पुत्र महादेव के नाम, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पिता मोहन पुत्र महादेव के नाम तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 के पिता श्रीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

रामधन, मोहन व श्रीराम पुत्रान महादेव के नाम से दर्ज है, जो फौत हो चुके है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 उनके वैध वारिस व उत्तराधिकारीगण है, काबिज काश्तकार है, इसलिए मृतक का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का,प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं० 8 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे, जिसके लिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 10 की शामलाती खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस पर किसी भी दीगर व्यक्ति का कानूनी रूप से कोई हक अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 ने बाई फोर्स विवादित भूमि पर जून 2024 के प्रथम सप्ताह में विवादित भूमि की तारबन्दी तोड़कर निर्माण सामग्री डालकर कब्जा कर लिया है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 को विवादित भूमि से बेदखल किया जाकर वादी व प्रवितादी नम्बर 1 लगायत 10 को कब्जा संभलाया जावें जिसके लिए उक्त वाद बाबत बेदखली का सेवामें पेश है।

विवादित भूमि वादीव प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 की पैत्रिक संपति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 के अलावा किसी भी व्यक्ति का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वजो के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। वादी ने विवादित भूमि में एक टीन शेड का मकना बनाया हुआ है तथा एक ताजा मकान का निर्माण करवाया है, मौके पर बजरी, ईंट व पत्थर भी पड़े है, सैटल पजेशन है। चूंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व्यापार, नौकरी की वजह से ग्राम झाझड से बाहर रहते है इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 समय समय पर अपनी काश्त की भूमि हवेली मकानो को संभालने के लिए आते रहते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के बाहर रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को माता पुत्र है के मन में बेईमानी पैदा हो गई है तथा विवादित भूमि को हड़पने की नियत बनाये हुये है तथा विवादित भूमि पर बलात ताकत व लठ के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 12.08.2019 को वादी अपनी काश्त की भूमि को संभालने के लिए आया तो प्रतिवादी नं. 12 लगायत 14 मौके पर आ गये ओर वादी को खुले आम धमकी दी कि विवादित भूमि के औने–पौने दाम लेकर चले जाओं अन्यथा हम ताकत व लठ के बलप कब्जा करेगें, तुम्हें बेदखल करेगें, तुम्हारी भूमि पर नाजायज रूप से मौका मिलते ही निर्माण कार्य करेगें, कब्जा करेगें, जिससे वादी के वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे है, प्रतिवादीगण को कानूनन ऐसा करने का अधिकार नहीं है, वादी प्रतिवादी नं. 12 लगायत 14 की माता प्रतिवादी संख्या 11 से भी मिला तथा समझाया परन्तु प्रतिवादी नं० 11 भी इनसे मिली हुई है तथा आपस में मिलकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की भूमि को बाई फोर्स हड़पना चाहते है, इसी उददेश की पूर्ती में जून 2024 के प्रथम सप्ताह में विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी नं0 11 लगायत 14 विवादित भूमि पर अवैध कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें, शांति से उपयोग उपभोग करनें देवें, किसी प्रकार का कब्जा करके निर्माण कार्य नही करें, किसी भी प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम नही देवें जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की पैत्रिक सम्पति है, काबिज काश्तकार है तथा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है, इसलिए वादी मौका मिलते ही निर्माण कार्य करेगें, कब्जा करेगें, जिससे वादी के वैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे है, प्रतिवादीगण को कानूनन ऐसा करने का अधिकार नहीं है, वादी प्रतिवादी नं. 12 लगायत 14 की माता प्रतिवादी संख्या 11 से भी मिला तथा समझाया परन्तु प्रतिवादी नं० 11 भी इनसे मिली हुई है तथा आपस में मिलकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की भूमि को बाई फोर्स हड़पना चाहते है, इसी उददेश की पूर्ती में जून 2024 के प्रथम सप्ताह में विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी नं0 11 लगायत 14 विवादित भूमि पर अवैध कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करें, शांति से उपयोग उपभोग करनें देवें, किसी प्रकार का कब्जा करके निर्माण कार्य नही करें, किसी भी प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम नही देवें जिसके लिए उक्त वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की पैत्रिक सम्पति है, काबिज काश्तकार है तथा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है, इसलिए वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 अपनी गलत योजना की क्रियान्विति में लगे हुये है, विवादित भूमि पर प्रतिवादी नं० 11 लगायत 14 ने कब्जा कर लिया है तथा मौके पर निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने में आमादा है अगर प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 अपनी गलत कार्यवाही को अंजाम दे देगें तो वादी को अपार क्षति होगी वादी को अपनी सम्पति से महरूम होना पड़ेगा जिसका खामियाजा भुगतना किसी भी हालत में संभव नहीं होगा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को पाबन्द नही किया गया तो वादी को आगे से आगे मुकदमें बाजी में फसना होगा जिससे समय व धन की बर्बादी होगी साथ ही मानसिक पीड़ा अलग से भुगतनी होगी ऐसी सुरत में प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना निहायत जरूरी व आवश्यक है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र डुप्लीकेट कॉपी सहित पेशकर निवेदन है कि:— वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जावें कि राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 470 की भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं0 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं० 8 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जायें जिसके लिए प्रतिवादी नं0 15 को तहरीर जारी की जायें।

विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 विवादित भूमि पर अवैध कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें, शांति से उपयोग उपभोग करनें देवें, किसी प्रकार का कब्जा करके निर्माण कार्य नही करें, किसी भी प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम नही देवें।

प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 ने विवादित भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा किया है, से प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 को बेदखल किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 से कब्जा वादी को दिलवाया जावें।

वादी द्वारा वाद—पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु राधेश्याम तथा छाजूराम के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद—पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2075—78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद—पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 470 की भूमि खसरा नम्बर 1782/452 रकबा 0.19 है० भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 10 की पैत्रिक शामलाती खातेदारी काश्त की भूमि है। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मृतक रामधन, मोहन तथा श्रीराम के नाम दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाकर उनके विधिक वारिसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादीगण सं0 11 लगायत 14 का उक्त भूमि से किसी प्रकार संबध नही होने के कारण उन्हें उक्त भूमि से बेदखल किया जाना तथा वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। [illegible] वाद [illegible] होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:29 IST
Reason: Self Attested

—:: आदेश ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राज[illegible] झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 470 की भूमि खसरा नम्बर 1782/452 रकबा 0.19 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं0 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं० 8 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी के

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-टेक) नवलगढ़

अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें तथा वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 द्वारा जो कब्जा किया है, से प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलवाये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 150/2019 **(राधेश्याम बनाम विनोद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.10.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 470 की भूमि खसरा नम्बर 1782/452 रकबा 0.19 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं0 4 लगायत 7 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं० 8 लगायत 10 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें तथा वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 द्वारा जो कब्जा किया है, से प्रतिवादी नम्बर 11 लगायत 14 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलवाये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:30:29 IST
Reason: SelfAttested